


m-book-16

16

13395/2023



### विक्रय-पत्र

पृष्ठ-72 के क्रमांक 310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301  
बाजारी कीमत-4,87,000/-रु0, स्टाम्प-1,53,000/-रु0  
दर-65 लाख + 10 प्रतिशत प्रति हे0

ई स्टाम्प संख्या-IN-UP 70249088730139V

- 1- भूमि का प्रकार - कृषि
- 2- परगना - जमौर
- 3- ग्राम - नवादा इन्देपुर
- 4- सम्पत्ति का विवरण - गाटा सं0-6
- 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.202 हे0 में से 0.068 हे0
- 6- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।
- 7- सड़क की स्थिति - मुख्य सड़क से करीब 500मी0दूर
- 8- प्रतिफल - 21,78,000/- रूपया

LS 3000

Rune



V. Singh



Raj



Anand



५



Handwritten signature in black ink below the portrait.

१०



Handwritten signature in black ink below the portrait.



(2)

विवरण चौहद्दी :-

पूरब - खेत अमन अग्रवाल डायरेक्टर क्रेता कम्पनी  
पश्चिम - खेत विनय कुमार कुमरा आदि  
उत्तर - चकमार्ग (6 मीटर से कम चौडा)  
दक्षिण - खेत विनय कुमार कुमरा आदि

सुशील कुमार कुमरा व विनय कुमार कुमरा पुत्रगण राम मोहन सिंह  
कुमरा निवासीगण मोहल्ला दीवानजोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर  
व दीपक मेहरोत्रा पुत्र गोपाल कृष्ण मेहरोत्रा निवासी मोहल्ला  
मुजफ्फरगंज शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0-9415035527,  
9415119717, 7523968260 पै नं0-ABOPK4221G, ABOPK4222F,  
ABDPM1736F

..... प्रथम पक्ष


एवं

एस0पी0के0एन0 एण्ड सन्स प्रा0लि0 अजीजगंज शहर व जिला  
शाहजहांपुर द्वारा डायरेक्टर अमन अग्रवाल पुत्र प्रमोद कुमार  
अग्रवाल निवासी श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शहर व  
जिला शाहजहांपुर। पै नं0-ABDCS6704J मो0-9651101010

.....द्वितीय पक्ष

जो कि आराजी काश्त संक्रमणीय भूमिधर स्थित ग्राम नवादा  
इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहांपुर जिसका  
गाटा संख्या 6 रकबा 0.202 हे0 हम प्रथम पक्ष की है, उक्त  
आराजी हम प्रथम पक्ष के वास्तविक कब्जे व दखल में है मौके

*Rumal*  
*Vijay*  
*Rupam*  
*Amay*



विक्रय पत्र

प्रतिफल- 2178000 स्टाम्प शुल्क- 153000 बाजारी मूल्य - 487000 पंजीकरण शुल्क - 21780 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 21840

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा  
अमन अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल  
व्यवसाय : अन्य  
निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर



श्री, एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा

अमन अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/  
प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/05/2023 एवं 12:40:54

PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता

उप निबंधक :सदर

शाहजहांपुर

03/05/2023

✓ पी पी कठेरिया  
निबंधक लिपिक

शाहजहांपुर


03/05/2023

प्रिंट करें



(3)

पर खसरा संख्या 4, 5, 6 एवं 8 आपस में लगे हुये है और ही सीमा के अन्तर्गत मौजूद है जिसमें से खसरा 6 हम प्रथम पक्ष का कुल भाग है जिसका प्रथम पक्ष तन्हा काश्तकार भूमिधर है उक्त आराजी का निकास चकरोड से होकर है विगत कई वर्ष पूर्व हम प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि का उपयोग अकृषिक भूमि के रूप में करने के उद्देश्य से उक्त भूमि को औद्योगिक भूमि घोषित करा लिया था लेकिन कभी भी उक्त भूमि पर कोई उद्योग नहीं लगा और न ही उक्त भूमि का अकृषिक भूमि के रूप में कोई इस्तेमाल किया गया लेकिन एक बार अकृषिक भूमि घोषित हो जाने के उपरान्त उक्त विवरण खतौनी में दर्ज चलता रहा जबकि मौके पर वास्तव में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं लगा और न ही उक्त भूमि का कोई उपयोग अकृषिक कार्यों में किया गया और न ही कभी उक्त भूमि का उपयोग आवासीय भूमि के रूप में किया गया। हम प्रथम पक्ष उक्त भूमि के एक अंश कि जिसका विवरण इस दस्तावेज के अन्त में दिया गया है का विक्रय करना चाहते है तथा द्वितीय पक्ष उक्त भूमि 21,78,000/- रूपये में खरीदने को तैयार व रजामन्दर है। इससे अधिक कीमत देने के लिए कोई भी अन्य खरीददार तैयार नहीं है लिहाजा हम प्रथम पक्ष ने अपनी शेष कुल आराजी काश्त 0.068 हे0 काश्त को खूब सोच व समझ कर अपनी स्वस्थ चित एवं इन्दियों की अवस्था में बिना किसी जोर व दबाव के वदस्त द्वितीय पक्ष से मु0 21,78,000 रूपया कि आधे जिसके मु0 10,89,000/- रूपया होते है में विक्रय कर दी तथा कुल कीमत इस दस्तावेज के अन्त में दिये गये विवरण के

The image shows four handwritten signatures and their corresponding fingerprints. From left to right: 1. A signature that appears to be 'Rana' with a fingerprint below it. 2. A signature that appears to be 'Vijay' with a fingerprint below it. 3. A signature that appears to be 'Raj' with a fingerprint below it. 4. A signature that appears to be 'Anand' with a fingerprint below it.

Ram  
Vijay Kumar

आवेदन सं०: 202300795005278

विक्रेता: 1

श्री सुशील कुमार कुमरा, पुत्र श्री  
राम मोहन सिंह कुमरा  
निवासी: मो० दीवानजोगराज  
शाहजहांपुर  
व्यवसाय: अन्य




विक्रेता: 2

श्री विनय कुमार कुमरा, पुत्र श्री  
राम मोहन सिंह कुमरा  
निवासी: मो० दीवानजोगराज  
शाहजहांपुर  
व्यवसाय: अन्य



विक्रेता: 3

श्री दीपक मेहरोत्रा, पुत्र श्री गोपाल  
कृष्ण मेहरोत्रा  
निवासी: मो० मुजफ्फरगंज  
शाहजहांपुर  
व्यवसाय: अन्य



क्रेता: 1

श्री एस पी के एन एण्ड सुनील  
प्रा० लि० के देवारा अमन अग्रवाल,  
पुत्र श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल  
निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज  
कम्पाउन्ड अजीजगंज  
शाहजहांपुर  
व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1


श्री कमल कुमार, पुत्र श्री सुखवीर  
निवासी: मो० खिरनीबाग  
शाहजहांपुर  
व्यवसाय: अन्य




पहचानकर्ता : 2

(4)

अनुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष को अपने समान समस्त अधिकारों सहित मालिक काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल वाकई मौके पर दे दिया अब हम प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिसान या कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रीत सम्पत्ति की बावत नहीं रहा और यदि कोई हम प्रथम पक्ष का सहीम शरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा बातिल व नाजायज होगा और यदि ऐसे किसी विवाद के कारण विक्रीत सम्पत्ति का कुल या जुज भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे व दखल से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित हम प्रथम पक्ष व वारिसान हमारे की जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष व हमारे वारिसान को कोई उज्र या इन्कार नहीं होगा। यह कि उक्त आराजी का उपयोग कभी भी औद्योगिक/आवासीय कार्यों के लिये नहीं किया गया और अकृषिक घोषित होने के उपरान्त भी जब उसका उपयोग अकृषिक भूमि के रूप में नहीं रहा था तो राजस्व कर्मचारियों का भी दायित्व था कि उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अकृषिक के स्थान पर कृषि भूमि धारा 144 यू0पी0 जेड0ए0एण्ड एल0आर0 एकट के तहत स्वतः कर देते और उनका स्वयं का दायित्व था कि मौके को देखकर राजस्व अभिलेख सही कर देते। लेकिन उनके द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में ही प्रयोग की जा रही है। उक्त आराजी काश्त विकासशील ग्राम की सूची में आती है जिस पर श्रीमान कलेक्टर शाहजहाँपुर द्वारा उत्तर प्रदेश (वैल्यूशन आफ प्रापर्टी नियमावली

The image shows four fingerprints arranged horizontally. Above each fingerprint is a handwritten signature in black ink. From left to right, the signatures appear to be: 'Ramesh', 'Vijay', 'Rajendra', and 'Anand'. The fingerprints are dark and clearly visible against the white background.

श्री राजीव, पुत्र श्री बद्रीनाथ  
निवासी: ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी  
तहसील सदर शाहजहांपुर  
व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता  
उप निबंधक : सदर

शाहजहांपुर  
03/05/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के  
निशान अंगूठे नियमानुसार लिए  
गए हैं।  
टिप्पणी : स्टाम्प कमी

पी पी कठेरिया  
निबंधक लिपिक  
शाहजहांपुर  
03/05/2023

प्रिंट करें



(5)









1997 के अन्तर्गत बनाई गयी मूल्यांकन सूची जो दिनांक 26.09.2022 से प्रभावी है के अनुसार कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन सूची के पृष्ठ-72 के क्रमांक 310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301 की दर 65,00,000 /- रूपया प्रति हे0 निर्धारित है परन्तु आराजी काश्त चकमार्ग पर स्थित होने के कारण 10 प्रतिशत बृद्धि करने के अनुसार मूल्यांकन किये जाने पर उसकी कुल बजारी मूल्य मु0 4,87,000 /- रूपया होती है लेकिन उक्त सम्पत्ति का विक्रय रूपया 21,78,000 /- रूपया में किया जा रहा है जो विक्रय मूल्य श्रीमान कलेक्टर शाहजहांपुर द्वारा बनायी गयी मूल्यांकन सूची में दिये गये मूल्यांकन से अधिक है इस कारण स्टाम्प अधिनियम के शेड्यूल-1बी के अनुच्छेद 23(क) के अनुसार विक्रय प्रतिफल पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है। लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विवरण अदायगी प्रतिफल

समस्त प्रतिफल मु0 21,78,000 /- रूपया निम्न अनुसार अदा किया गया।

<u>चेक सं0</u>	<u>धनराशि</u>	<u>दिनांक</u>	<u>बैंक</u>
286466	726000	22.03.2023	भातीय स्टेट बैंक सुशील कुमार कुमरा
448586	726000	22.03.2023	भातीय स्टेट बैंक विनय कुमार कुमरा
286468	726000	22.03.2023	भातीय स्टेट बैंक दीपक मेहरोत्रा

नोट :- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति

UPSH050026242018



न्यायालय: सिविल जज(सीनियर डिविजन), शाहजहाँपुर

मोहम्मद रईस खान आदि निरंजन सिंह आदि

मूलवाद संख्या- 283/2018

(CNR No.- UPSH050026242018)

दिनांक- 20.12.2022

निस्तारण समझौतानामा- 30 क

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष जरिये विद्वान अधिवक्तागण उपस्थिति आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा-30 क पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

समझौतानामा-30 क मय शपथपत्र 35 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चन्द भले लोगों ने समझौतानामा-30 क में वर्णित शर्तों के आधार पर आपस में सुलह समझौता हो गया है। उभयपक्ष खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करेंगे।

उभयपक्ष द्वारा समझौतानामा-30 क की शर्तों को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। दिनांक 14.11.2022 को वादीगण मोहम्मद रईस खान आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बुधपाल सिंह व प्रतिवादीगण निरंजन सिंह आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा समक्ष न्यायालय तस्दीक किया गया है। पक्षकारों को समझौतानामा न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया है। पक्षकारों के द्वारा समझौतानामा-30 क को स्वीकार किया गया है एवं कोई आपत्ति नहीं की गयी।

उभयपक्ष की शिनाख्त जरिये अधिवक्ता किये जाने पर समझौतानामा-30 क न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2022 को तस्दीक किया गया। समझौतानामा एवं उभयपक्ष के अभिकथनों से राजीनामा दुरभिसंधि पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः राजीनामा/ समझौतानामा-30 क की शर्तों के आधार पर दावा आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

समझौतानामा-30 क के आधार पर दावा वादीगण आज्ञप्त किया जाता है। समझौतानामा-30 क मय आधार समझौता 31 क आज्ञप्ति का अंश होगा। यह निर्णय केवल पक्षकारों एवं उनके विधिक प्रतिनिधि पर ही प्रभावी होगा। इस निर्णय का प्रभाव स्वरूप अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इस निर्णय के प्रभावस्वरूप किसी सरकारी सम्पत्ति का अन्तरण होगा, न उससे किसी स्वत्व का सृजन ही होगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का कोई भी प्रभाव अवयस्क पक्षकारों के वयस्कता पर प्राप्त उनके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का प्रभावस्वरूप सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं भूमि व राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित वांछित विधिक प्रक्रिया व देय राजस्व पर इस निर्णय का किसी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमानुसार डिक्री बनायी जाये एवं इस आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक/ जनपद शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रेषित हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

उप निबन्धक (हिलेश अग्रवाल),  
जज (सीनियर डिविजन),  
शाहजहाँपुर।  
सदर- शाहजहाँपुर (MO. Code- UP2060)







# नजरी नक्शा बिक्रीत आराजी संक्रमणीय भूमिधरी

स्थित ग्राम- ~~जवाहर~~ इन्दौर पराना जामौर

तहसील सदर जिला-शाहजहांपुर



*Amresh*

*Amresh*

*Amresh*


*Amresh*

सो-व पर

उप निबन्धक  
सदर-सहजसंपुर



जादा पदे सो-व पर वादी गण मोहम्मद रसिम रवौ, श्रीमती  
जिजला देवी, श्रीमती लूणा कान्ती मित्रा डि लूणा मित्रा, श्रीमती  
सिद्ध श्री, राजापु हुमर गुला, मनीष खिलौरिया द्वारा भुव्त्कार खात्र  
रंजीव खिलौरिया, रंजीव खिलौरिया, रघुवर वरण द्वारा भुव्त्कार खात्र  
मोहम्मद रसिम रवौ, श्रीमती जितेन्द्र मम्सेना, व विरवा वार मित्रा  
की वानारत्ता श्री लुवापाल सिंह एडव व प्रतिवादी गण निरजान सिंह  
व शकील अहमद की वानारत्ता उनके अधिवक्ता श्री कुलदीप  
श्रीवास्तव एडव द्वारा किया गया। सो-व पर पक्षकारों को  
पदकार सुनाया गया। सो-व पर लालदीक पक्षकारों की धोर  
से स्पष्ट न्यायालय में उपस्थित होकर की गयी।




*[Handwritten signature]*  
14/11/22

*[Handwritten signature]*  
श्रीमती देवी

रुचिपर एडव  
मनीष खिलौरिया  
मनीष खिलौरिया

सिद्ध श्री  
रंजीव खिलौरिया

श्रीमती देवी  
शकील अहमद  
Identified Signature  
of Mr. Niranjan and  
Shakeel Ahmad  
14.11.22  
(कुलदीप श्रीवास्तव एडव)




लूणा कान्ती मित्रा  
जितेन्द्र मम्सेना  
विशवा सा। टि।

Identified all  
14-11-22  
(Gurukul Singh) Ad  
उप निबन्धक  
सदर-सहजसंपुर

11/11/22  
15/11/22  
14/11/22

# फोटोग्राफ आराजी काशत


स्थित मोहल्ला / ग्राम—~~जालावा~~ इन्दौर... प्रयाग जमीर  
तहसील सदर जिला—शाहजहाँपुर



आधार समझौता

31/11

- यह कि दावा वादी बाबत याचना (अ) आज़ूत माना जावेगा तथा बैनामा दिनांक 22.12.2015 इकरारी निरंजन सिंह बहक प्रतिवादी संख्या 2 शकील अहमद निररत माना जावेगा तथा इसकी सूचना कार्यालय उप निबन्धक शाहजहाँपुर को इस आदेश के साथ भेज दी जावेगी कि वह इस तथ्य की पुष्टि अपने अभिलेखों में कर देगे।
- यदि विवादित बैनामे के संबंध में स्टाम्प वाद संख्या 141 सन् 2015 पक्षकार बनाम शकील अहमद तारीख फ़ैसला 04.01.2016 में पारित निर्णय के अनुसार विवादित बैनाम के संबंध में जो कमी स्टाम्प का आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार रु 5,33,590/- एवं इस धनराशि पर च्याज राज्य सरकार को अदा किया जाना है। उक्त रकम की अदायगी वादीगण प्रतिवादीगण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति में अदा कर देंगे ताकि भविष्य में कोई विवाद स्टाम्प शुल्क का शेष न बचे।
- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 मूल बैनामा कार्यालय उप निबन्धक शाहजहाँपुर से प्राप्त कर वादीगण को सौंप देगा।
- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त बैनामे के संबंध में देय कमी स्टाम्प की रकम जो वादीगण द्वारा अदा कर दी जावेगी को सरकार से वापस प्राप्त करने के लिये वादीगण के सहयोग से समुचित कार्यवाही करेगा और इस कार्यवाही पर होने वाला व्यय वादीगण वहन करेंगे और इस संबंध में यदि कोई रूपया राज्य सरकार से वापस प्राप्त होगा तो इस धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण होंगे और इस समस्त कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 अपना पूरा सहयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर मुखयारनामा लिखकर वादीगण को सौंप देगा।
- यह कि पक्षकारों के मध्य जो भी फौजदारी के वाद चल रहे हैं उन्हें भी पक्षकार आपसी सहयोग से समाप्त करा लेंगे।
- यह कि वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।



वादीगण


1. Mohd. Raees Khan
2. Smt. Pramila Devi
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra
4. Smt. Sidh Shri
5. Ajay Kumar Gupta
6. Manish Khiloria
7. Ranjeet Khiloria
8. Raghveer Sharan
9. Smt. Jitendra Saxena
10. Vishwadhar Mishra

Through  
Budhpal Singh  
Advocate


Budhpal Singh  
Advocate  
Collectrate, Shahjahanpur  
Reg. No. 7509/92

प्रतिवादीगण

1. Niranjn Singh
2. Shakeel Ahmad  
Through  
Counsel



द्वारा-  
कुलदीप श्रीवास्तव  
टपो  
कुलदीप श्रीवास्तव  
फ़ोन नं०-142659/16 एडवोकेट  
जेजेस कोर्ट, शाहजहाँपुर  
फ़ोन 8090649175




उप निबन्धक  
सर-शाहजहाँपुर

(9.)

के नहीं हैं। काशत सीलिंग व पट्टे की नहीं है। काशत में पेड़, बोरिंग या कुआँ आदि नहीं है।













गवाह-1 कमल कुमार पुत्र सुखवीर निवासी मोहल्ला खिरनी बाग शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0-9919214999



गवाह-2 राजीव पुत्र बद्रीनाथ निवासी ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी तहसील सदर जिला शाहजहांपुर। मो0-9956656535




मसविदा- आलोक कुमार मिश्र, (एडवोकेट) मो0-09935535799  
टाईपकर्ता- अनुज शर्मा  
दिनांक- 24.03.2023 ई0

  
Atok Kumar Mishra (Advocate,  
Reg. No.-5798/07  
Judges Court, Shahjahanpur  
Mob - 9935535799

आवेदन सं०: 202300795005278

मिनट बुक संख्या 16 द्वारा  
निबंधन की कार्यवाही स्थगित की  
गई।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
अरुण कुमार गुप्ता  
उप निबंधक : सदर  
शाहजहांपुर  
03/05/2023


आवेदन सं०: 202300795005278

मिनट बुक संख्या 35 द्वारा निबंधन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।  
बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16090 के पृष्ठ 251 से 268 तक क्रमांक 1 पर  
दिनांक 30/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

पी पी कठेरिया  
निबंधक लिपिक  
03/05/2023



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
हरिेश यादव  
उप निबंधक : सदर  
शाहजहांपुर  
30/08/2023

As per order of ADM (FIR)  
Shahjahanpur dt 27.06.2023

Certified that the amount required  
to make up the proper stamp duty is  
Rs. 3,00,720/-

in words Three lakh Eight thousand Seven hundred Twenty

and a penalty of Rs. 4,000/-  
in words Four thousand only

and Registration fee Rs. 44,180/-  
in words Four thousand One hundred Eighty only

and Interest (1.5% per annum) Rs. 13,893/-  
in words Thirteen thousand Eight hundred Ninety Three only

have been levied in respect of this instrument and have been paid by  
Kamran Agrawal U. Aziz Gang. Aman Agrawal S/o Pramod  
Tamil Sader SPX.  
CB 50057 14E 50148

Through Treasury Chalan No. 1127/2023  
Dated 14/08/2023

  
ADM FIR  
Collector  
Stamp. Shahjahanpur  
17/09/23